

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अ धि सू च ना

विषय : बिहार राज्य औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद (Bihar State Industrial Investment Advisory Council) का पुनर्गठन।

विभागीय अधिसूचना संख्या 1219 दिनांक 01.08.2012, 1523 दिनांक 15.09.2012 एवं 1920 दिनांक 15.10.2013 को संशोधित करते हुए बिहार राज्य औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद का गठन निम्न रूप से किया जाता है :-

- | | | | |
|----|---|---|------------|
| 1) | मुख्य मंत्री, बिहार | — | अध्यक्ष |
| 2) | मंत्री, जल संसाधन विभाग—
सह-अध्यक्ष, 'बिहार फाउण्डेशन' | — | सदस्य |
| 3) | मंत्री, उद्योग, बिहार | — | सदस्य |
| 4) | मुख्य सचिव, बिहार | — | सदस्य सचिव |
| 5) | विकास आयुक्त, बिहार | — | सदस्य |
| 6) | प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार | — | सदस्य |
| 7) | मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / सचिव, बिहार | — | सदस्य |
| 8) | मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार फाउण्डेशन | — | सदस्य |

उद्योग एवं व्यवसाय जगत के प्रतिनिधि

- 9) श्री दीपक पारीख, अध्यक्ष, HDFC
- 10) श्री के०भी० कामथ, अध्यक्ष, ICICI Bank & Chairman, Infosys
- 11) श्रीमति अरुंधति भट्टाचार्या,, अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- 12) श्री अनिल अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष, वेदांता
- 13) श्री वाई०सी० देवेश्वर, अध्यक्ष, आई०टी०सी० लि०
- 14) श्री जमशेद गोदरेज, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, Godrej & Boyce
- 15) श्री नितिन प्रांजपे, CEO & MD, Hindustan Unilever
- 16) श्री इशमत हुसैन, निदेशक वित्त, टाटा सन्स
- 17) श्री एन० चन्द्रशेखरन, मुख्य कार्यकारी निदेशक, टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज
- 18) सुश्री शिखा शर्मा, प्रबंध निदेशक, ऐक्सिस बैंक
- 19) श्री अनलजीत सिंह, अध्यक्ष, मैक्स इण्डिया

आर्थिक एवं प्रबंधन प्रक्षेत्र के प्रतिनिधि

- 20) डा०(श्रीमती) इशर जज अहुलवालिया, Chairperson, Indian Council for Research and International Economic Relations
- 21) डा० जे० सिन्हा, अध्यक्ष, एसिया पेसिफिक, बोस्टन कन्सलटेंसी ग्रुप


बिहार फाउण्डेशन के प्रतिनिधि

22) श्री यू०के० सिन्हा, अध्यक्ष, SEBI

विशेष आमंत्रित

- 23) अध्यक्ष, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, पटना।
24) अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना।
25) अध्यक्ष, सी०आई०आई०, पटना।
26) अध्यक्ष, PHD Chamber of Commerce, पटना।
2. परिषद के मुख्य कार्य—कलाप निम्न प्रकार होंगे —
(क) राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश के प्रोत्साहन की नीतियों के लिए एक मंच प्रदान करना तथा राज्य के उद्योग एवं निवेश के विकास हेतु योजनाओं के सुत्रीकरण के लिए सुझाव देना।
(ख) विभिन्न प्रक्षेत्रों, यथा, औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन, Hospitality, ऊर्जा, तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा, कृषि आधारित उद्योग, शहरी आधारभूत संरचना के विकास हेतु विशिष्ट योजनाएँ बनाने में राज्य सरकार को मदद देना।
(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति एवं संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु उद्यमियों को सुलभ व्यवस्था करना।
(घ) राज्य के युवा वर्ग को नियोजन के अवसर बढ़ाने हेतु उनके कौशल विकास की योजनाएँ तैयार करना।
(च) समाज के वंचित वर्ग, यथा, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएँ बनाने में सहायता देना ताकि वे आर्थिक विकास की गतिविधियों का लाभ उठा सकें।
3. परिषद की बैठक समय—समय पर मुख्य मंत्री के आदेश से आयोजित की जाएगी।
4. बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों को मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी को अनुमान्य यात्रा भत्ता देय होगा। साथ ही उनके आवासन की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाएगी।
5. विशिष्ट क्षेत्रों में सलाह देने हेतु परिषद द्वारा उप समूह भी गठित किये जा सकेंगे।
6. परिषद को सचिवालय सहायता उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। परिषद की बैठकों पर होनेवाले खर्च एवं गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/ आवासन आदि का खर्च उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।
7. परिषद की बैठकों में आवश्यकतानुसार किसी अन्य महानुभाव को आमंत्रित किया जा सकेगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(नवीन वर्मा)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक - 2145 पटना, दिनांक - 27.11.13
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।


(नवीन वर्मा)

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 2145 पटना, दिनांक - 27.11.13


प्रतिलिपि - संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी ई-गजट कोषांग में प्रकाशन हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।


(नवीन वर्मा)

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 2145 पटना, दिनांक - 27.11.13

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग के प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, पटना/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी/बिहार राज्य उद्योग एवं निवेश सलाहकार परिषद के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नवीन वर्मा)

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।